सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 962 राँची, सोमवार, 20 अग्रहायण, 1939 (श०)

11 दिसम्बर, 2017 (ई०)

उद्योग,खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

1 दिसम्बर, 2017

"झारखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास नियमावली-2017"

संख्या- 4100/ 05-योजना(उ.नि.)-04/2017-उ.खा एवं भू.वि.-- भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 दिनांक 2 अक्टूबर, 2006 से लागू किया गया है, जिसके द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को परिभाषित करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विकसित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। इसकी धारा-11 में राज्य सरकार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के विकास के उद्देश्य से क्रय में उनको प्राथमिकता देने का अधिकार प्रदत्त है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के अध्याय-5 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्री अथवा दिये गये सेवा के विलम्बित भुगतान की समस्या के निदान के लिए आवश्यक प्रावधान किये गये हैं तथा इसकी धारा 30 में राज्य सरकारों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सुगमीकरण परिषद नियमावली अधिसूचित करने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

उक्त परिपेक्ष्य में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न नियमावली प्रतिपादित करती हैः-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः

(1) यह नियमावली झारखण्ड सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम विकास नियमावली-2017 कही जाएगी।

(2) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2. परिभाषाएँ- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 (2006 का 27) (The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act-2006) (सं॰ 27/2006)

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धाराः

(ग) ''माध्यस्थम एवं सुलह" अधिनियम से अभिप्रेत है माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) (सं॰ 26/1996)

(घ) ''परिषद'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धाराः 20 के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुगमीकरण परिषद (Micro, Small Enterprises Facilitation Council) [MSEFC]

(ङ) ''संस्थान'' से अभिप्रेत है कोई संस्था या केन्द्र जो धारा 18 की उप धारा-(2) एवं (3) में निर्दिष्ट वैकल्पिक विवाद निपटारे की सेवाएँ देने वाला कोई संस्थान ।

(च) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धाराः 21 की उपधारा (1) के उपबंध (प) के अंतर्गत नियुक्त सूक्ष्म और लघु उद्यम सुगमीकरण परिषद का अध्यक्षः

(छ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है परिषद का सदस्यः

(ज) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार

(झ) "सूक्ष्म लघु उद्यम (MSE)" से अभिप्रेत है अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सूक्ष्म लघु उद्यम ।

(ञ) उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, पर परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, तो उनका वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम में उनके लिए निरूपित है ।

3. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुगमीकरण परिषद (Micro, Small Enterprises Facilitation Council) की स्थापनाः

i. राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा एक या अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुगमीकरण परिषद की स्थापना ऐसे स्थानों में ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करनेवाले तथा ऐसे क्षेत्र के लिए करेगी जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो ।

ii. सरकार इस प्रकार नियुक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुगमीकरण परिषद (एम॰एस॰ई॰एफ॰सी॰) को सचिवालय सहायता भी दे सकती है । वह सचिवालय के किसी अधिकारी को परिषद के

सचिव के रूप में काम करने के लिए अभिहित कर सकती है, जिसे एम०एस०ई०एफ०सी० द्वारा परिषद की ओर से नोटिस या आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

iii. सरकार परिषद की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ प्रदान कर सकती है ।

iv. सरकार आवेदन दाखिल करते समय भुगतान किए जाने वाला कोई शुल्क और/ या प्रक्रमण शुल्क निर्धारित कर सकती है ।

v. परिषद सचिवालय की अपनी स्वयं की मुहर होगी ।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 एवं धारा 21 (1) के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुगमीकरण परिषद की संरचनाः

(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुगमीकरण परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या-5 (पाँच) होगी, जो निम्न प्रकार होगी:

i. निदेशक, उद्योग या राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 21 (1) (प) के अन्तर्गत नामित पदाधिकारी ।

ii. समन्वयक (Co-ordinator) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ।

iii. प्रतिनिधि सूक्ष्म/लघु उद्यम संघ, झारखण्ड, राँची ।

iv. विधिक विशेषज्ञ ।

v. विभाग/निदेशालय द्वारा नियुक्त परामर्शी के रूप में चार्टड एकाउन्टेंट/ कॉस्ट एकाउन्टेंट।

(ख) अध्यक्ष के अलावे अन्य सदस्य नियुक्ति से दो वर्षो तक ही अधिक से अधिक पदधारित कर सकेंगे ।

(ग) नियम 4 के उपनियम (क) के उपबंध (पप),(पपप) एवं (पअ) के अंतर्गत नियुक्त परिषद् के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वे जिस श्रेणी या हित से नियुक्त किये गये थे, उसका प्रतिनिधित्व नही कर पाते हों ।

(घ) परिषद का कोई सदस्य एक माह की लिखित पूर्वसूचना सरकार को देकर परिषद से पदत्याग कर सकता है । सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति सरकार में निहित होगी ।

(ङ) यदि किसी सदस्य का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो राज्य सरकार उस रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है ।

(च) सरकार द्वारा किसी भी सदस्य को पद से हटाया जा सकता है:

i. यदि वह विकृत चित्त का है तथा इसकी घोषणा सक्षम न्यायालय द्वारा की जाती हैः या

ii. यदि वह दिवालिया या ऋण शोधन में अक्षम हो जाता है या अपने ऋण दाता को भुगतान स्थगित कर देता हैः या

iii. यदि वह किसी अपराध के लिए दंडित होता है, जो भारतीय दण्ड विधान (अधिनियम-45/1860) के अंतर्गत दण्डनीय हैः या

iv. यदि वह अध्यक्ष की अनुमति के बिना परिषद की लगातार तीन बैठकों में तथा किसी भी हालत में लगातार पांच बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं या

v. यदि ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लेते हैं, जो सरकार के अभिमत में, सदस्य के रूप में उनके कार्यकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है ।

5. परिषद के कार्यों के निष्पादन में अपनायी जानेवाली प्रक्रियाः

(क) असंतुष्ट सूक्ष्म या लघु उद्यम आपूर्तिकर्ता अपने संदर्भ (reference) आवेदन पत्र में UAM (Udyog Aadhar Memorandum), Mobile No., e-mail ID के पूर्ण विवरणी के साथ क्रेता एवं उसके प्रतिष्ठान (Enterprise) की पूरी विवरणी, आपूरित सामग्री या सेवा, आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता के बीच भुगतान की निर्धारित समय सीमा, बकाया राशि एवं अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत सम्यक रूप से परिगणित ब्याज की पूर्ण विवरणी का उल्लेख करेंगें, जो शपथ-पत्र द्वारा समर्पित होगा तथा उस पर आवश्यक रू० 20.00 (बीस) का गैर न्यायिक मुद्रांक (Non Judicial court fee stamp) चिपकाया हुआ होगा या संलग्न होगा । शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा कि इसी विवाद से संबंधित सिविल न्यायालय के समक्ष कोई वाद लंबित नहीं है ।

(ख) संदर्भ प्राप्त होने पर परिषद के कार्यालय द्वारा भारत सरकार द्वारा संधारित MSME Portal पर आवेदक एवं प्रतिवादी के संबंध में डाटा प्रविष्ट किया जाएगा ।

(ग) डाटा प्रविष्टि के उपरान्त आवेदक को परिषद कार्यालय द्वारा प्राप्ति रसीद तुरंत मेल या SMS के द्वारा भेजी जाएगी ।

(घ) परिषद कार्यालय द्वारा प्राप्त संदर्भ के साथ समर्पित किए गए शुल्क, निर्धारित मुद्रांक, कम्पनी की सूक्ष्म, लघु उद्योग संबंधी जाँच, उद्योग आधार नम्बर आदि से संतुष्ट होने पर इसे परिषद की अगली बैठक में रखा जाएगा ।

(ङ) यदि संदर्भ अथवा इसमें दर्ज ब्यौरे परिषद द्वारा संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो वह संदर्भ अस्वीकृत कर सकता है ।

(च) परिषद या तो मामले का स्वयं समाधान कर सकता है अथवा समाधान के लिए किसी अन्य संस्थान की मदद ले सकता है और यदि वह इस तरह का निर्णय लेता है तो वह पक्षकारों को संस्थान भेज सकता है ।

(छ) यह मामला जिस संस्थान को निर्दिष्ट किया गया है वह इसका समाधान करने की कोशिश करेगा और वह यथाशीघ्र इसकी रिपोर्ट समान्यतः परिषद को संदर्भ प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेज देगा ।

(ज) जहां समाधान सफल नहीं होता है और पक्षकारों के बीच समझौता बिना किसी समाधान के निरस्त हो जाता है वहाँ परिषद या तो स्वयं विवाद पर उचित कार्रवाई, यथा माध्यस्थता करेगा अथवा किसी "संस्थान" को माध्यस्थता के लिए भेज देगा ।

(झ) यदि मामला संस्थान को निर्दिष्ट किया जाता है तो, संस्थान माध्यस्थता और समाधान अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के उपबंधों के अन्तर्गत इस मामले की माध्यस्थता करेगा और अधिनिर्णय परिषद को भेजेगा ।

(ञ) परिषद अधिनिर्णय को अंतिम रूप देने के पश्चात, अथवा संस्था से अधिनिर्णय प्राप्त होने के पश्चात मामले पर विचार करेगा और इस संबंध में उचित अंतिम निर्णय पारित करेगा ।

(ट) कुछ भी तत्समय प्रभावी अन्य विधि से असंगत रहने पर भी अधिनियम की धारा-15 से 23 के प्रावधान प्रभावी होंगे ।

6. परिषद की बैठकें और कोरम:

i. परिषद की बैठकें सामान्यतया 7 दिनों की नोटिस के पश्चात आयोजित की जाएगी ।

ii. तथापि, तात्कालिकता के मामले में, बैठक अल्पावधि नोटिस पर, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त समझा जाए, आयोजित की जा सकती है ।

iii. याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को बैठक संबंधी सभी नोटिस/सूचना दी जाएगी जिसमें SMS और e-mail द्वारा भी सूचना देना शामिल है ।

iv. परिषद नियमित बैठकें आयोजित करेगा, जो कि महीने में न्यूनतम एक होगी ।

v. कोरम हेतु सदस्यों की संख्या तीन होगी ।

7. परिषद के निर्णय:

i. परिषद की बैठक में मौजूद उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा ही परिषद में कोई निर्णय लिया जाएगा ।

ii. अधिनियम की धारा-18 के अधीन किए गए प्रत्येक संदर्भ के संबंध में निर्णय ऐसे संदर्भ प्राप्त होने के 90 दिनों की अवधि के अन्दर किया जाएगा ।

iii. वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली परिषद द्वारा अथवा किसी संस्थान अथवा केन्द्र द्वारा जिसे मामला परिषद द्वारा भेजा गया हो, स्वयं दिए गए किसी भी डिक्री, निर्णय अथवा अन्य आदेश को खारिज करने के लिए प्राप्त किसी भी आवेदन पर, किसी भी न्यायालय द्वारा, तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक अपीलकर्ता (जो आपूर्तिकर्ता न हो) ने, ऐसे न्यायालय के अन्य आदेश के निर्देशानुसार, उसके पास उस डिक्री, निर्णय अथवा जैसा भी मामला हो, के संबंध में उस अवार्ड राशि का 75% जमा न करा दिया हो ।

8. दावे की राशि भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली:

यदि क्रेता परिषद या संस्थान के अवार्ड के विरूद्ध अधिनियम की धारा-19 के तहत अपील नहीं करता है, या उसका अपील अस्वीकृत कर दिया गया है, तो घोषित अवार्डधारी संबंधित जिले के समाहर्ता के पास वसूली हेतु आवेदन कर सकेंगे तथा समाहर्ता भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली करेंगे । अन्य परिस्थिति में अवार्डधारी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकेंगे ।

9. परिषद द्वारा अधिनियम में बताए गए तरीके से समय-समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव को तथ्यों की सूचना दिया जाएगा ।

10. संदर्भ प्रक्रिया शुल्क:

आपूर्तिकर्ता द्वारा विलम्बित भुगतान को लेकर प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ दावा की गई राशि का 1% शुल्क के रूप में जमा करना होगा, जो न्यूनतम एक हजार रूपये होगा तथा अधिकतम पाँच हजार रूपये होगा ।

11. परिषद के सदस्यों को मानदेय राज्य सरकार निर्धारित करेगी ।

12. संयंत्र स्तरीय सलाहकार समिति (Plant Level Advisory Committee)

(I) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 11 के प्रावधान के अन्तर्गत सभी राज्य एवं केन्द्रीय लोक उद्यम में पी०एल०ए०सी० (संयंत्र स्तरीय सलाहकार समिति) का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न प्रकार सदस्य होंगे:-

क)	राज्य/केन्द्र के लोक उद्यम के प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष/निदेशक	-	अध्यक्ष
ख)	संबंधित जिले के उपायुक्त या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि	-	सदस्य
ग)	अग्रणी बैंक के प्रबंधक	-	सदस्य
घ)	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम संघ के दो प्रतिनिधि	-	सदस्य
ङ)	संबंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक	-	सदस्य सचिव

(II) संयंत्र स्तरीय सलाहकार समिति के कार्य एवं दायित्व:-

क) राज्य/केन्द्र के लोक उद्यम के अध्यक्ष/निदेशक/प्रबंध निदेशक इस नियमावली के अधिसूचना की तिथि के दो माह के अंदर संयंत्र स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करेंगे ।

ख) कम से कम इसकी बैठक साल में दो बार आयोजित की जाएगी ।

ग) संयंत्र स्तरीय सलाहकार समिति संयंत्र में आपूर्ति एवं भुगतान के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधान के आलोक में विलंबित भुगतान करवाने एवं क्रय नीति के अनुपालन के संबंध में परामर्श देगी ।

घ) संयंत्र स्तरीय सलाहकार समिति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के आलोक में प्रावधान के अन्तर्गत अन्य विकास के कार्यों का भी समीक्षा करेगी ।

ङ) संबंधित जिला के जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक उद्योग निदेशालय को प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

च) निदेशक, उद्योग त्रैमासिक प्रतिवेदन भारत सरकार के सलाहकार समिति को प्रस्तुत करेंगे ।

13. व्याख्या: यदि नियम की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

14. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा तथा उक्त के क्रम में झारखण्ड सूक्ष्म,लघु उद्यम सुगमीकरण परिषद नियमावली-2007 निष्प्रभावी हो जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार वर्णवाल,
सरकार के सचिव ।

Department of Industries, Mines & Geology

Notification

1 December, 2017

"Jharkhand Micro, Small and Medium Enterprise Development Rules -2017"

Memo - 4100 /05-योजना(उ.नि.)-04/2017-उ.खा एवं भू.वि.-- Micro, Small and Medium Enterprises Development Act -2006 has been implemented by the Government of India with effect from 2 October, 2006, through which micro, small and medium enterprises has been defined and necessary provisions for developing micro, small and medium enterprises have been made. In its section 11, the State Government has been given the right to give priority in purchases from micro, small and medium enterprises for their development In the Chapter-5 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act-2006, necessary provisions have been made for resolving the problem of delayed payment of the goods supplied by the micro and small enterprises or the delayed payment of the services rendered and in section 30, the State Governments has been given the power to notify the Micro, Small and Medium Enterprises Facilitation Council Rules.

In the above context, the State Government hereby prescribes the following rules: -

1. <u>Short title and commencement</u>:

(1) These rules will be called Jharkhand Micro, Small and Medium Enterprises Development Rules-2017.

(2) This rule will be effective from the date of publication in the Jharkhand Gazette.

(3) It will be extended in entire Jharkhand state.

2. **<u>Definitions</u>:** In these rules, unless the context otherwise requires.

(a) **"Act"** means The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act-2006 (27 of 2006)

(b) **"Section"** means the section of the act

(c) **"Arbitration and Conciliation Act"** means Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996)

(d) **"Council"** means Micro, Small Enterprises Facilitation Council (MSEFC) set up by Government of Jharkhand, under the provision Section 20 of Act.

(e) **"Institute"** means any institution or center, which provide alternative dispute resolution service referred to in sub-section (2) and (3) of section 18 of the Act.

(f) **"Chairman"** means the chairperson of the Micro and Small Enterprises Facilitation Council appointed under the provisions of sub-section (1) of section 21 of the Act.

(g) **"Member"** means member of the Council.

(h) **"State Government"** means Government of Jharkhand.

(i) **"Micro Small Enterprise (MSE)"** means micro small enterprise as per the provisions of the Act.

(j) Those words and expressions, used are not defined, but defined in the Act, they will have the same meaning as it is defined for them in the Act.

3. Establishment of Micro and Small Enterprises Facilitation Council

i. The State Government through a notification shall set up one or more Micro Small Enterprises Facilitation Council in such places as those who exercise such jurisdiction and for such area as may be specified in the notification.

ii. The Government may also give secretariat assistance to the appointed Micro and Small Enterprises Facilitation Council (M.S.E.F.C.). It may also designate some official of the Secretariat to work as Secretary of the Council, who will have the right to issue notice or order on behalf of the Council.

iii. The Government may provide a specialist for the assistance to Council.

iv. The Government may specify any fees and / or processing charges to be paid while filing an application.

v. The Council Secretariat will have its own seal.

4. Structure of Micro and Small Enterprises Facilitation Council under Section 2 and Section 21 (1) of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

(A) The maximum number of members in the Micro and Small Enterprises Facilitation Council will be 5 (five), which will be as follows:

- (i) Director, Industries or designated officer by the State Government under section 21 (1) (i) of the Act.
- (ii) Co-ordinator, State Level Bankers Committee.
- (iii) Representative, Micro / Small Enterprises Association, Jharkhand, Ranchi.
- (iv) Legal specialist.
- (v) Chartered Accountant / Cost Accountant appointed by the Department / Directorate as consultant.

(B) Members other than the Chairman can hold post maximum upto two years from the date of appointment.

(C) The membership of the member of the Council appointed under the provisions (ii), (iii), and (iv) of sub rule (a) of the Rule 4 will end, if they do not represent the category or interest they were appointed for.

(D) Any member of the council can abdicate from the Council by giving one month written prior notice to the government. The power to accept member's resignation will be vested in the government.

(E) If the post of a member becomes vacant due to any reason, then the State Government can appoint a person to fill that vacancy.

(F) Any member can be removed from the post by the Government:

- (i) If is of unsound mind and stands so declared by the competent court; or
- (ii) If becomes bankrupt or insolvent or suspends payment to his creditors;or

(iii) If he is convicted for any offense, which is punishable under Indian Penal Code (Act-45/1860);or

(iv) If he abstains himself / herself from three consecutive meetings of the council without the leave from Chairperson, and in any case from five consecutive meetings; or

(v) If he acquires such financial or other interests as is likely in the opinion of Government to affect prejudicially his functions as a member.

5. Procedure adopted in the execution of the functions of the Council:

(A) An aggrieved micro or small enterprises supplier will submit their reference in the application form with the complete details of UAM (Udyog Aadhar Memorandum), mobile no., e-mail id along with full detail of the buyer and its enterprise, material or service supplied, the fixed time limit for payment between supplier and buyer, mentioning the complete statement of outstanding amount and interest calculated in accordance with section 16 of the Act, which shall be submitted through the affidavit with non-judicial stamp (Non Judicial court fee stamp) of Rs. 20.00 (twenty) affixed or attached. It would be clearly mentioned in the affidavit that no lawsuit is pending before the Civil Court related to this dispute.

(B) On receipt of the reference, data regarding the applicant and the defendant will be filed by the office of the Council on the MSME Portal maintained by the Government of India.

(C) After entry of data, the acknowledgment receipt will be sent to the applicant immediately through mail or SMS by the council office.

(D) After satisfaction, by verifying the fee, fixed stamp, company identification, regarding micro, small, enterprises, Udyog Aadhar memorandum, etc. submitted with reference received by council office, it will be placed before next Council meeting.

(E) If the context or the details recorded in it are not found satisfactory by the Council, then the reference can be rejected.

(F) The Council shall either itself conduct conciliation in the matter or seek the assistance of any institute for conducting the conciliation and if it decides to do so, shall refer the parties to the institute.

(G) The institute to which the issue is referred make effort to bring out conciliation and it shall submit its report to Council as soon as possible within 15 days from reference to the council.

(H) Where the solution is not successful and decision terminated without any settlement between the parties, the Council shall either itself take up the dispute for further action, i.e., arbitration or refer to an institute for the same.

(I) If the matter is referred to an institute, the institute shall arbitrate the issue as per the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and refer the award to the Council.

(J) The Council after finalising the award or receiving the award from the institute shall consider the case and pass the appropriate final order in this matter.

(K) The provisions of section 15 to 23 of the Act shall be effective even if anything is inconsistent with the other effective at the time.

6. Council meetings and quorum:

(i) The meeting of the Council shall be ordinarily held after giving seven days notice.

(ii) However, in the case of urgency, it can be called as such a short notice, as the Chairman may find suitable.

(iii)All the notices/communication for the meeting shall be informed to the Petitioner/Respondent including information through SMS and e-mail.
(iv)The council shall hold regular meetings, at least once in a month.
(v) The number of members for the quorum will be three.

7. **Decisions of the Council:**
(i) Any decision of the council shall be made by a majority of its members present in the meeting of the council.
(ii) In relation to each reference made under section 18 of the Act, the decision will be made within 90 days of receiving such reference.
(iii)No application for setting aside any decree, award or other order made either by the council itself or by any institution or centre providing alternate dispute resolution services to which a reference is made by the council, shall be entertained by any court unless the appellant (not being a supplier) has deposited with it seventy-five percent of the amount in terms of the decree, award or, as the case may be , the other order in the manner directed by such court.

8. **The amount of the claim recovery like the land revenue arrear:**
If the purchaser does not appeal under Section 19 of the Act against the award of the Council or the Institution, or the appeal has been rejected, then the declared awardees can apply for recovery to the Collector of the respective district and the Collector will recover the amount as like land revenue arrear. In other circumstances, the awardees can file a lawsuit in a competent court.

9. According to process spelt out in the Act, the council shall inform the status report to the Member Secretary of the National Board of Micro, Small and Medium Enterprises from time to time.

10. **Reference Process Charges:**
1% of the amount claimed by the supplier regarding the delayed payment will be deposited in the form of fees, which will be minimum Rs. one thousand rupees and maximum of five thousand rupees.
11. State Government will fix honorarium to the Council members.
12. Plant Level Advisory Committee

(I) Under the provisions of Section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, PLAC (Plant Level Advisory Committee) will be constituted in all the State and Central Public Enterprises in which the following shall be the members: -

A)Managing Director / Chairman / Director of Public Enterprises of the State / Center - Chairman
B) Deputy Commissioner of the respective district or their representative - Member
C) Manager of Leading Bank - Member
D) Two Representatives of Micro and Small Enterprises Association - Members
E) General Manager of the District Industry Center of the concerned District-Member Secretary

(II) Functions and responsibilities of plant level advisory committee: -

(A) Chairman / Director / Managing Director of Public Enterprises of the State / Center will constitute a Plant Level Advisory Committee within two months of the notification of the Rules.

(B) Its meeting will be held at least twice in a year.

(C) Plant Level Advisory Committee in relation to supply and payment in the plant will give advice to ensure disbursement of the delayed payment and compliance of the purchase policy in the light of provision of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

(D) Plant Level Advisory Committee will also review the works of other development activities under the provision of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

(E) The General Manager of the District Industries Center of the respective district will submit progress report to the Directorate of Industry.

(F) Director, Industries will submit quarterly report to the Advisory Committee of the Government of India.

13. **Explanation:** If there any question raised regarding the interpretation of the rule, then the decision of the state government will be final.

14. This notification will be effective from the date of issue and in the order of the aforesaid, the Jharkhand Micro, Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2007 will be neutralized.

By the order of Governor of Jharkhand,

Sunil Kumar Barnwal,
Secretary to the Government .

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 962--200